

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-16/2016-

84 आवंटन /कृ., पटना, दिनांक 15/9/2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, नालंदा।

विषय : वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रु० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रु० कुल 170.00 करोड़ रु० (एक अरब सत्तर करोड़ रु०) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से सामान्य वर्ग के लिए 132.60 करोड़ रु० (एक अरब बत्तीस करोड़ साठ लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹1,59,40,400 (एक करोड़ उनसठ लाख चालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3117 दिनांक-18.07.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रु० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रु० कुल 170.00 करोड़ रु० (एक अरब सत्तर करोड़ रु०) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से सामान्य वर्ग के लिए 132.60 करोड़ रु० (एक अरब बत्तीस करोड़ साठ लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹1,59,40,400 (एक करोड़ उनसठ लाख चालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	पूर्व में विभागीय पत्रांक:- 36 (आवंटन) दिनांक-18.07.2016 द्वारा आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	जिला पदाधिकारी नालंदा	3,98,51,000	2,39,10,600	1,59,40,400	3,98,51,000

2. उपरोक्त ₹1,59,40,400 (एक करोड़ उनसठ लाख चालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0103-बाढ़-सुखाड़ की अपातकालीन योजना विपत्र कोड-P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5683 विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

6. मुख्य सचिव बिहार, पटना के निदेशानुसार जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में आवंटित किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्णरूपेण समर्पित नहीं किया गया है। उन्हें राशि उपआवंटित नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

84 आर्ब 25

/कृ., पटना, दिनांक 15/9/ 2016

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]

निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

84 आर्ब 25

/कृ., पटना, दिनांक 15/9/ 2016

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]

निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

84 आर्ब 25

/कृ., पटना, दिनांक 15/9/ 2016

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

[Signature]

निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।